[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.26/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख.28 अगस्त, 2017.

सा.का.नि...(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय -सीमा का नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक विस्तार करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	8 सितम्बर
2.	अगस्त, 2017	23 सितम्बर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार